

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-493 / 2013 / 3510

दिनांक :- 01-07-2019

कार्यालय आदेश

श्री विजय सिंह कनि० लेखाकार मेरिट नंबर-493 / 2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उपकोषाधिकारी माण्डलगढ, जिला-भीलवाडा को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक -20.03.2018 से 29.03.2018 तक कुल 10 दिवस

(चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

उक्त कुल 10 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विजय सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-493 / 2013 / 3510

दिनांक :- 01-07-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपकोषाधिकारी माण्डलगढ जिला-भीलवाडा
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विजय सिंह कनि० लेखाकार मेरिट नंबर-493 / 2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उपकोषाधिकारी माण्डलगढ, जिला-भीलवाडा।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)